

न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
(पीठासीन अधिकारी महेन्द्र लोढा, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 161/2015

दायरा दिनांक : 03.08.2015

उनवान

गोबरी बाई उम्र 58 वर्ष पत्नी मोहनलाल, जाति धाकड़, निवासी
तामखेड़ा, तहसील अन्ता, जिला बारां

.... अपीलांत

बनाम

- 1- धनराज पुत्र गणेश, जाति राठी, निवासी तामखेड़ा, तहसील अन्ता, जिला बारां
 - 2- मोहनी बाई पुत्री गणेश पत्नी बजरंगलाल, जाति राठी, निवासी खेड़िया, तहसील बारां, जिला बारां
 - 3- कमला बाई पुत्री गणेश पत्नी लक्ष्मीचन्द्र, जाति राठी, निवासी केशवपुरा, कोटा, जिला कोटा
 - 4- मन्जू बाई पुत्री गणेश पत्नी रमेश चन्द्र, जाति राठी, निवासी कोटडी पाठेडा, तहसील बारां, जिला बारां
 - 5- किशोर पुत्र नारायण, जाति राठी, निवासी तामखेड़ा, तहसील अन्ता, जिला बारां
 - 6- शांतिबाई पुत्री धन्नालाल पत्नी रामप्रसाद, जाति राठी, निवासी देवली मांझी, तहसील सांगोद, जिला कोटा
 - 7- धापू बाई पुत्री जगन्नाथ पत्नी राधाकिशन, जाति राठी, निवासी तिसाया, तहसील मांगरोल, जिला बारां मृतक जरिये कायम मुकामान :-
- 7/1- प्रभू लाल पुत्र राधाकिशन, जाति राठी, निवासी तिसाया, तहसील मांगरोल, जिला बारां

(महेन्द्र लोढा)

भू-प्रबन्ध अधिकारी

एवं

पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)



- दुर्गाशंकर पुत्र राधाकिशन, जाति राठी, निवासी तिसाया, तहसील मांगरोल, जिला बारां
- 7/3- मुकट बिहारी पुत्र राधाकिशन, जाति राठी, निवासी तिसाया, तहसील मांगरोल, जिला बारां
- 7/4- गंगा बाई पुत्री राधाकिशन, पत्नी नन्द जी जाति राठी, निवासी बजरंगगढ़, तहसील किशनगंज, जिला बारां
- 8- नटी पुत्री जगन्नाथ पत्नी प्रभू दयाल, जाति राठी, निवासी आमापुरा, तहसील बारां, जिला बारां
- 9- लटूरी जगन्नाथ पत्नी रामकिशन, जाति राठी, निवासी गोपाल कॉलोनी बारां, तहसील बारां, जिला बारां
- 9/1- पुष्पा पुत्री रामकिशन पत्नी बजरंग लाल, जाति राठी, निवासी गोपाल कॉलोनी बारां, तहसील बारां, जिला बारां
- 9/2- केला बाई पुत्री रामकिशन पत्नी गोपी चन्द, जाति राठी, निवासी गोपाल कॉलोनी बारां, तहसील बारां, जिला बारां
- 10- रामकन्या पुत्री जगन्नाथ पत्नी नेनकीलाल, जाति राठी, निवासी चांदखेड़ी, तहसील अटरू, जिला बारां
- 11- गोबरी लाल पुत्र लड्डू, जाति राठी, निवासी तामखेड़ा, तहसील अन्ता, जिला बारां
- 12- बाबूलाल पुत्र लड्डू, जाति राठी, निवासी तामखेड़ा, तहसील अन्ता, जिला बारां मृतक जरिये कायम मुकामान :-
- 12/1- राजेश बाई उम्र 48 वर्ष बेवा श्री बाबूलाल, जाति राठी, निवासी तामखेड़ा, तहसील अन्ता, जिला बारां
- 12/2- योगेश कुमार उम्र 18 वर्ष पुत्री श्री बाबूलाल, जाति राठी, निवासी तामखेड़ा, तहसील अन्ता, जिला बारां
- 12/3- करिश्मा कुमार उम्र 5 वर्ष पुत्री श्री बाबूलाल नाबालिग जरिये वली माता राजेश बाई पत्नी बाबूलाल, जाति राठी, निवासी तामखेड़ा, तहसील अन्ता, जिला बारां



(महेन्द्र लोका)
 भू-प्रबन्ध अधिकारी
 एवं
 पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
 कोटा (राज.)

- जगनालाल पुत्र गिरधारी, जाति राठी, निवासी तामखेड़ा, तहसील अन्ता, जिला बारां
- 14- मोरपाल पुत्र गिरधारी, जाति राठी, निवासी तामखेड़ा, तहसील अन्ता, जिला बारां
- 15- उर्मिला पुत्री गोरधन, जाति राठी, निवासी सूमर, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़
- 16- गणेशी बाई पुत्री रामनारायण पत्नी लक्ष्मीनारायण, जाति राठी, निवासी तामखेड़ा, तहसील अन्ता, जिला बारां मृतक जरिये कायम मुकामान :-
- 16/1- गोपाल पुत्र रामनारायण, जाति राठी, निवासी चांदखेड़ी, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़
- 16/2- बिरधी बाई पुत्री भैरूलाल, जाति राठी, निवासी नयागांव, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़
- 17- राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार अन्ता, जिला बारां

.... रेस्पोंडेंट

अपील संख्या 189/2015

दायरा दिनांक : 26.08.2015

उनवान

- 1- मगन लाल उम्र 73 वर्ष पुत्र श्री गजानन्द, जाति राठी, निवासी तामखेड़ा, तहसील अन्ता, जिला बारां
- 2- कैलाश बाई उम्र 69 वर्ष पुत्री श्री गजानन्द, जाति राठी, निवासी तामखेड़ा, तहसील अन्ता, जिला बारां
- 3- छोटूलाल उम्र 63 वर्ष पुत्री श्री गजानन्द, जाति राठी, निवासी तामखेड़ा, तहसील अन्ता, जिला बारां
- 4- विद्या बाई उम्र 60 वर्ष पुत्री श्री गजानन्द, जाति राठी, निवासी तामखेड़ा, तहसील अन्ता, जिला बारां
- 5- अमृतलाल उम्र 57 वर्ष पुत्र श्री गजानन्द, जाति राठी, निवासी तामखेड़ा, तहसील अन्ता, जिला बारां



(महेन्द्र लोका)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

- लाड बाई उम्र 54 वर्ष पुत्री श्री गजानन्द, जाति राठी, निवासी तामखेड़ा, तहसील अन्ता, जिला बारां
- 7- सरदार बाई उम्र 51 वर्ष पुत्री श्री गजानन्द, जाति राठी, निवासी तामखेड़ा, तहसील अन्ता, जिला बारां
- 8- राजेश बाई उम्र 48 वर्ष बेवा श्री बाबूलाल, जाति राठी, निवासी तामखेड़ा, तहसील अन्ता, जिला बारां
- 9- योगेश कुमार उम्र 18 वर्ष पुत्री श्री बाबूलाल, जाति राठी, निवासी तामखेड़ा, तहसील अन्ता, जिला बारां
- 10- करिश्मा कुमार उम्र 5 वर्ष पुत्री श्री बाबूलाल नाबालिग जरिये वली माता राजेश बाई पत्नी बाबूलाल, जाति राठी, निवासी तामखेड़ा, तहसील अन्ता, जिला बारां

.... अपीलांट

बनाम

- 1- धनराज पुत्र गणेश, जाति राठी, निवासी तामखेड़ा, तहसील अन्ता, जिला बारां
- 2- मोहनी बाई पुत्री गणेश पत्नी बजरंगलाल, जाति राठी, निवासी खेड़िया, तहसील बारां, जिला बारां
- 3- कमला बाई पुत्री गणेश पत्नी लक्ष्मीचन्द्र, जाति राठी, निवासी केशवपुरा, कोटा, जिला कोटा
- 4- मन्जू बाई पुत्री गणेश पत्नी रमेश चन्द्र, जाति राठी, निवासी कोटडी पाठेडा, तहसील बारां, जिला बारां
- 5- किशोर पुत्र नारायण, जाति राठी, निवासी तामखेड़ा, तहसील अन्ता, जिला बारां
- 6- शांतिबाई पुत्री धन्नालाल पत्नी रामप्रसाद, जाति राठी, निवासी देवली मांझी, तहसील सांगोद, जिला कोटा
- 7- धापू बाई पुत्री जगन्नाथ पत्नी राधाकिशन, जाति राठी, निवासी तिसाया, तहसील मांगरोल, जिला बारां मृतक जरिये कायम मुकामान :-



(महेन्द्र लोढ़ा)

भू-प्रबन्ध अधिकारी

एवं

पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

- प्रभू लाल पुत्र राधाकिशन, जाति राठी, निवासी तिसाया, तहसील मांगरोल, जिला बारां
- 7/2- दुर्गाशंकर पुत्र राधाकिशन, जाति राठी, निवासी तिसाया, तहसील मांगरोल, जिला बारां
- 7/3- मुकट बिहारी पुत्र राधाकिशन, जाति राठी, निवासी तिसाया, तहसील मांगरोल, जिला बारां
- 7/4- गंगा बाई पुत्री राधाकिशन, पत्नी नन्द जी जाति राठी, निवासी बजरंगगढ़, तहसील किशनगंज, जिला बारां
- 8- नटी पुत्री जगन्नाथ पत्नी प्रभू दयाल, जाति राठी, निवासी आमापुरा, तहसील बारां, जिला बारां
- 9- लटूरी जगन्नाथ पत्नी रामकिशन, जाति राठी, निवासी गोपाल कॉलोनी बारां, तहसील बारां, जिला बारां
- 9/1- पुष्पा पुत्री रामकिशन पत्नी बजरंग लाल, जाति राठी, निवासी गोपाल कॉलोनी बारां, तहसील बारां, जिला बारां
- 9/2- केला बाई पुत्री रामकिशन पत्नी गोपी चन्द, जाति राठी, निवासी गोपाल कॉलोनी बारां, तहसील बारां, जिला बारां
- 10- रामकन्या पुत्री जगन्नाथ पत्नी नेनकीलाल, जाति राठी, निवासी चांदखेड़ी, तहसील अटरू, जिला बारां
- 11- गोबरी लाल पुत्र लड्डू, जाति राठी, निवासी तामखेड़ा, तहसील अन्ता, जिला बारां
- 12- बाबूलाल पुत्र लड्डू, जाति राठी, निवासी तामखेड़ा, तहसील अन्ता, जिला बारां (मृतक)
- 13- जगनालाल पुत्र गिरधारी, जाति राठी, निवासी तामखेड़ा, तहसील अन्ता, जिला बारां
- 14- मोरपाल पुत्र गिरधारी, जाति राठी, निवासी तामखेड़ा, तहसील अन्ता, जिला बारां



(महेन्द्र लोढ़ा)

भू-प्रबन्ध अधिकारी

एवं

घदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

उर्मिला पुत्री गोरधन, जाति राठी, निवासी सूमर, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़

16- गणेशी बाई पुत्री रामनारायण पत्नी लक्ष्मीनारायण, जाति राठी, निवासी तामखेड़ा, तहसील अन्ता, जिला बारां मृतक जरिये कायम मुकामान :-

16/1- गोपाल पुत्र रामनारायण, जाति राठी, निवासी चांदखेड़ी, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़

16/2- बिरधी बाई पुत्री भैरूलाल, जाति राठी, निवासी नयागांव, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़

17- राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार अन्ता, जिला बारां

..... रेस्पोंडेंट

अपील संख्या 162/2015

दायरा दिनांक : 03.08.2015

उनवान

गोबरी बाई उम्र 58 वर्ष पत्नी मोहनलाल, जाति धाकड़, निवासी तामखेड़ा, तहसील अन्ता, जिला बारां

.... अपीलांट

बनाम

- 1- धनराज पुत्र गणेश, जाति राठी, निवासी तामखेड़ा, तहसील अन्ता, जिला बारां
- 2- मोहनी बाई पुत्री गणेश पत्नी बजरंगलाल, जाति राठी, निवासी खेड़िया, तहसील बारां, जिला बारां
- 3- कमला बाई पुत्री गणेश पत्नी लक्ष्मीचन्द्र, जाति राठी, निवासी केशवपुरा, कोटा, जिला कोटा
- 4- मन्जू बाई पुत्री गणेश पत्नी रमेश चन्द्र, जाति राठी, निवासी कोटडी पाठेडा, तहसील बारां, जिला बारां
- 5- किशोर पुत्र नारायण, जाति राठी, निवासी तामखेड़ा, तहसील अन्ता, जिला बारां



(महेन्द्र लोका)

भू-प्रबन्ध अधिकारी

एवं

पदेन राजस्व अपील अधिकारी
कोटा (राज.)

शांतिबाई पुत्री धन्नालाल पत्नी रामप्रसाद, जाति राठी, निवासी देवली मांझी, तहसील सांगोद, जिला कोटा

- 7- धापू बाई पुत्री जगन्नाथ पत्नी राधाकिशन, जाति राठी, निवासी तिसाया, तहसील मांगरोल, जिला बारां मृतक जरिये कायम मुकामान :-
- 7/1- प्रभू लाल पुत्र राधाकिशन, जाति राठी, निवासी तिसाया, तहसील मांगरोल, जिला बारां
- 7/2- दुर्गाशंकर पुत्र राधाकिशन, जाति राठी, निवासी तिसाया, तहसील मांगरोल, जिला बारां
- 7/3- मुकट बिहारी पुत्र राधाकिशन, जाति राठी, निवासी तिसाया, तहसील मांगरोल, जिला बारां
- 7/4- गंगा बाई पुत्री राधाकिशन, पत्नी नन्द जी जाति राठी, निवासी बजरंगगढ़, तहसील किशनगंज, जिला बारां
- 8- नटी पुत्री जगन्नाथ पत्नी प्रभू दयाल, जाति राठी, निवासी आमपुरा, तहसील बारां, जिला बारां
- 9- लटूरी जगन्नाथ पत्नी रामकिशन, जाति राठी, निवासी गोपाल कॉलोनी बारां, तहसील बारां, जिला बारां
- 9/1- पुष्पा पुत्री रामकिशन पत्नी बजरंग लाल, जाति राठी, निवासी गोपाल कॉलोनी बारां, तहसील बारां, जिला बारां
- 9/2- केला बाई पुत्री रामकिशन पत्नी गोपी चन्द, जाति राठी, निवासी गोपाल कॉलोनी बारां, तहसील बारां, जिला बारां
- 10- रामकन्या पुत्री जगन्नाथ पत्नी नेनकीलाल, जाति राठी, निवासी चांदखेड़ी, तहसील अटरू, जिला बारां
- 11- गोबरी लाल पुत्र लड्डू, जाति राठी, निवासी तामखेड़ा, तहसील अन्ता, जिला बारां
- 12- बाबूलाल पुत्र लड्डू, जाति राठी, निवासी तामखेड़ा, तहसील अन्ता, जिला बारां मृतक जरिये कायम मुकामान :-



(महेन्द्र लोढ़ा)

भू-प्रबन्ध अधिकारी

एवं

भू-पट्टेन राजस्व अपील प्राधिकारी

कोटा (राज.)

- राजेश बाई उम्र 48 वर्ष बेवा श्री बाबूलाल, जाति राठी, निवासी तामखेड़ा, तहसील अन्ता, जिला बारां
- 12/2- योगेश कुमार उम्र 18 वर्ष पुत्री श्री बाबूलाल, जाति राठी, निवासी तामखेड़ा, तहसील अन्ता, जिला बारां
- 12/3- करिश्मा कुमार उम्र 5 वर्ष पुत्री श्री बाबूलाल नाबालिग जरिये वली माता राजेश बाई पत्नी बाबूलाल, जाति राठी, निवासी तामखेड़ा, तहसील अन्ता, जिला बारां
- 13- जगनालाल पुत्र गिरधारी, जाति राठी, निवासी तामखेड़ा, तहसील अन्ता, जिला बारां
- 14- मोरपाल पुत्र गिरधारी, जाति राठी, निवासी तामखेड़ा, तहसील अन्ता, जिला बारां
- 15- उर्मिला पुत्री गोरधन, जाति राठी, निवासी सूमर, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़
- 16- गणेशी बाई पुत्री रामनारायण पत्नी लक्ष्मीनारायण, जाति राठी, निवासी तामखेड़ा, तहसील अन्ता, जिला बारां मृतक जरिये कायम मुकामान :-
- 16/1- गोपाल पुत्र रामनारायण, जाति राठी, निवासी चांदखेड़ी, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़
- 16/2- बिरधी बाई पुत्री भैरूलाल, जाति राठी, निवासी नयागांव, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़
- 17- राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार अन्ता, जिला बारां

.... रेस्पोंडेंट

अपील संख्या 190/2015

दायरा दिनांक : 26.08.2015

उनवान

- 1- मगन लाल उम्र 73 वर्ष पुत्र श्री गजानन्द, जाति राठी, निवासी तामखेड़ा, तहसील अन्ता, जिला बारां



(महेन्द्र लोढ़ा)
 भू-प्रबन्ध अधिकारी
 एवं
 पदेन राजस्व अपील शाखा
 कोटा (राज.)

- कैलाश बाई उम्र 69 वर्ष पुत्री श्री गजानन्द, जाति राठी, निवासी तामखेड़ा, तहसील अन्ता, जिला बारां
- 3- छोटूलाल उम्र 63 वर्ष पुत्री श्री गजानन्द, जाति राठी, निवासी तामखेड़ा, तहसील अन्ता, जिला बारां
- 4- विद्या बाई उम्र 60 वर्ष पुत्री श्री गजानन्द, जाति राठी, निवासी तामखेड़ा, तहसील अन्ता, जिला बारां
- 5- अमृतलाल उम्र 57 वर्ष पुत्र श्री गजानन्द, जाति राठी, निवासी तामखेड़ा, तहसील अन्ता, जिला बारां
- 6- लाड बाई उम्र 54 वर्ष पुत्री श्री गजानन्द, जाति राठी, निवासी तामखेड़ा, तहसील अन्ता, जिला बारां
- 7- सरदार बाई उम्र 51 वर्ष पुत्री श्री गजानन्द, जाति राठी, निवासी तामखेड़ा, तहसील अन्ता, जिला बारां
- 8- राजेश बाई उम्र 48 वर्ष बेवा श्री बाबूलाल, जाति राठी, निवासी तामखेड़ा, तहसील अन्ता, जिला बारां
- 9- योगेश कुमार उम्र 18 वर्ष पुत्री श्री बाबूलाल, जाति राठी, निवासी तामखेड़ा, तहसील अन्ता, जिला बारां
- 10- करिश्मा कुमार उम्र 5 वर्ष पुत्री श्री बाबूलाल नाबालिग जरिये वली माता राजेश बाई पत्नी बाबूलाल, जाति राठी, निवासी तामखेड़ा, तहसील अन्ता, जिला बारां

.... अपीलांट

बनाम

- 1- धनराज पुत्र गणेश, जाति राठी, निवासी तामखेड़ा, तहसील अन्ता, जिला बारां
- 2- मोहनी बाई पुत्री गणेश पत्नी बजरंगलाल, जाति राठी, निवासी खेड़िया, तहसील बारां, जिला बारां
- 3- कमला बाई पुत्री गणेश पत्नी लक्ष्मीचन्द, जाति राठी, निवासी केशवपुरा, कोटा, जिला कोटा



(महेन्द्र लोढ़ा)

भू-प्रबन्ध अधिकारी

एवं

पदेन राजस्व अपील एवं कमी

कोटा (राज.)

- मन्जू बाई पुत्री गणेश पत्नी रमेश चन्द्र, जाति राठी, निवासी कोटडी पाठेडा,
तहसील बारां, जिला बारां
- 5- किशोर पुत्र नारायण, जाति राठी, निवासी तामखेड़ा, तहसील अन्ता, जिला
बारां
- 6- शांतिबाई पुत्री धन्नालाल पत्नी रामप्रसाद, जाति राठी, निवासी देवली मांझी,
तहसील सांगोद, जिला कोटा
- 7- धापू बाई पुत्री जगन्नाथ पत्नी राधाकिशन, जाति राठी, निवासी तिसाया,
तहसील मांगरोल, जिला बारां मृतक जरिये कायम मुकामान :-
- 7/1- प्रभू लाल पुत्र राधाकिशन, जाति राठी, निवासी तिसाया, तहसील
मांगरोल, जिला बारां
- 7/2- दुर्गाशंकर पुत्र राधाकिशन, जाति राठी, निवासी तिसाया, तहसील
मांगरोल, जिला बारां
- 7/3- मुकट बिहारी पुत्र राधाकिशन, जाति राठी, निवासी तिसाया, तहसील
मांगरोल, जिला बारां
- 7/4- गंगा बाई पुत्री राधाकिशन, पत्नी नन्द जी जाति राठी, निवासी
बजरंगगढ़, तहसील किशनगंज, जिला बारां
- 8- नटी पुत्री जगन्नाथ पत्नी प्रभू दयाल, जाति राठी, निवासी आमापुरा, तहसील
बारां, जिला बारां
- 9- लटूरी जगन्नाथ पत्नी रामकिशन, जाति राठी, निवासी गोपाल कॉलोनी बारां,
तहसील बारां, जिला बारां
- 9/1- पुष्पा पुत्री रामकिशन पत्नी बजरंग लाल, जाति राठी, निवासी गोपाल
कॉलोनी बारां, तहसील बारां, जिला बारां
- 9/2- केला बाई पुत्री रामकिशन पत्नी गोपी चन्द, जाति राठी, निवासी
गोपाल कॉलोनी बारां, तहसील बारां, जिला बारां
- 10- रामकन्या पुत्री जगन्नाथ पत्नी नेनकीलाल, जाति राठी, निवासी चांदखेड़ी,
तहसील अटरू, जिला बारां



(महेन्द्र लोढ़ा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

- 11- गोबरी लाल पुत्र लड्डू, जाति राठी, निवासी तामखेड़ा, तहसील अन्ता, जिला बारां
- 12- बाबूलाल पुत्र लड्डू, जाति राठी, निवासी तामखेड़ा, तहसील अन्ता, जिला बारां (मृतक)
- 13- जगनालाल पुत्र गिरधारी, जाति राठी, निवासी तामखेड़ा, तहसील अन्ता, जिला बारां
- 14- मोरपाल पुत्र गिरधारी, जाति राठी, निवासी तामखेड़ा, तहसील अन्ता, जिला बारां
- 15- उर्मिला पुत्री गोरधन, जाति राठी, निवासी सूमर, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़
- 16- गणेशी बाई पुत्री रामनारायण पत्नी लक्ष्मीनारायण, जाति राठी, निवासी तामखेड़ा, तहसील अन्ता, जिला बारां मृतक जरिये कायम मुकामान :-
- 16/1- गोपाल पुत्र रामनारायण, जाति राठी, निवासी चांदखेड़ी, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़
- 16/2- बिरधी बाई पुत्री भैरूलाल, जाति राठी, निवासी नयागांव, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़
- 17- राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार अन्ता, जिला बारां

..... रेस्पोंडेंट

उपस्थित श्री बी एल जैन अभिभाषक अपीलांट की ओर से

श्री वाई एस भटनागर एवं श्री प्रहलाद मीणा अभिभाषक

रेस्पोंडेंट की ओर से

निर्णय

दिनांक : 03.02.2021

ये चारों अपीले समान पक्षकार एवं समान प्रकृति की होने के कारण इनका निस्तारण एक साथ किया जा रहा है ।



(महेन्द्र लोका)

भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं

प्रदेन राजस्व अपील अधिकारी
कोटा (रा. को.)

ये चारों अपीले अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, अन्ता के प्रकरण संख्या - 208/2010 निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 02.01.2015 एवं अन्तिम डिक्री दिनांक 25.02.2015 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपील संख्या - 161/2015 के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि निर्णय अधीनस्थ न्यायालय खिलाफ कानूनी व पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों के विपरीत है । अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का कानून के अनुसार विवेचन न करके भारी भूल की है । ग्राम तामखेड़ा, तहसील अन्ता में विवादित आराजी 13 किता रकबा 22.26 हेक्टर स्थित थी जिसके बाबत गणेशराम मृतक जिसके कायम मुकामान रेस्पोंडेंट क्रम 1 लगायत 4 हैं ने एक दावा रेस्पोंडेंट क्रम 5 लगायत 17 के विरुद्ध अधीनस्थ न्यायालय में अन्तर्गत धारा 53, 88, 89 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में पेश किया जिसमें अपीलांट को पक्षकार नहीं बनाया । जबकि अपीलांट भी वाद पेश करने के समय राजस्व कागजात में बतौर खातेदार कृषक दर्ज थी तथा उसका नाम खाते में 5/48 कॉलम नम्बर 4 में दर्ज था । इसके बाद इंतकाल नम्बर 606 दिनांक 05.09.2013 से कैला बाई का हिस्सा 1/24 भी अपीलांट ने खरीद किया जिसका नोट भी जमाबंदी में लग ^{नामा} ग्राम्या एवं इस प्रकार हिस्सा 520/1855 भी अपीलांट के नाम दर्ज करने का नोट जमाबंदी में अंकन हुआ । उसके अलावा ग्राम तामखेड़ा, तहसील अन्ता में सम्वत 2070-2073 की जमाबंदी में अपीलांट का 3/4 हिस्सा दर्ज है जो खसरा नम्बर 832/308 रकबा 1.44 हेक्टर में है । इसके बाद इंतकाल नम्बर 606 दिनांक 05.09.2013 से इसी भूमि का पुष्पाबाई व कैलाबाई का 1/24 हिस्सा भी अपीलांट द्वारा खरीद किया गया, जिसका नोट जमाबंदी में लग चुका है । यह भूमि अपीलांट ने जरिये रजिस्टर्ड बेचाननामा से खरीद की है तथा इसी प्रकार ग्राम तामखेड़ा की सम्वत 2070-2073 की जमाबंदी में अपीलांट का खसरा नम्बर 313 रकबा 2.84 हेक्टर व खसरा नम्बर 347 रकबा 2.71 हेक्टर में 1/4 हिस्सा दर्ज है जिसकी प्रविष्टि जमाबंदी में हो रही है । इन सब तथ्यों



(महेन्द्र लोका)

भू-प्रबन्ध अधिकारी

एवं

पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

को अधीनस्थ न्यायालय ने बिना देखे बिना अपीलांट को सुने बिना प्राथमिक डिक्री पारित की है जो निरस्त होने योग्य है क्योंकि रिकार्डेड खातेदार को सुने बगैर जो निर्णय पारित किया गया है वह सर्वथा गलत है तथा जितना हिस्सा अपीलांट का रिकार्ड में दर्ज है उससे कम हिस्सा करने का अधीनस्थ न्यायालय को कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। अपीलांट को रिकार्डेड खातेदार होते हुए भी रेस्पोंडेंट ने पक्षकार नहीं बनाया इस कारण धारा 96 दीवानी प्रक्रिया संहिता का प्रार्थना पत्र इस अपील के साथ पेश कर दिया गया है ताकि अपीलांट अपील पेश कर सके व अपने हितों की रक्षा कर सके। अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक डिक्री दिनांक 02.01.2015 अपास्त की जावे एवं प्राथमिक डिक्री में खसरा नम्बर 308/1 रकबा 1.44 हेक्टर दर्ज किया गया है जबकि अंतिम डिक्री में 832/308 पश्चिमी 0.28 व पूर्वी 1.16 दर्ज किया है जो कतई गलत है क्योंकि राजस्व रेकार्ड में खसरा नम्बर 832/308 रकबा 1.44 हेक्टर दर्ज है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने गौर न करके गलत हिस्से की डिक्री जारी की है जो निरस्त होने योग्य है।

अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 24.06.2015 को हुई। जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है। अतः विलम्ब का शमन किया जाये।

अपील संख्या 189/2015 के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि निर्णय अधीनस्थ न्यायालय खिलाफ कानूनी व पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों के विपरीत है। अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का कानून के अनुसार विवेचन न करके भारी भूल की है। ग्राम तामखेड़ा, तहसील अन्ता में विवादित आराजी 13 किता रकबा 22.26 हेक्टर स्थित थी जिसके बाबत गणेशराम मृतक जिसके कायम मुकामान रेस्पोंडेंट क्रम 1 लगायत 4 हैं ने एक दावा रेस्पोंडेंट क्रम 5 लगायत 17 के विरुद्ध अधीनस्थ न्यायालय में अन्तर्गत धारा 53, 88, 89 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में पेश किया जिसमें अपीलांट को



(महेन्द्र लोढ़ा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं
पदेन राजस्थान अधीनस्थ प्राधिकारी
कोटा (राज.)

पक्षकार नहीं बनाया । जबकि अपीलांट भी वाद पेश करने के समय राजस्व कागजात में बतौर खातेदार कृषक दर्ज थी तथा उसका नाम खाते में 1/4 कॉलम नम्बर 4 में दर्ज है । इसके अलावा ग्राम तामखेड़ा, तहसील अन्ता में सम्वत 2070-73 की जमाबंदी में अपीलांटगण का 1/4 हिस्सा दर्ज है जो समस्त भूमियों में है । इसी प्रकार ग्राम तामखेड़ा की सम्वत 2070-73 की जमाबंदी में अपीलांट का 1/4 हिस्सा दर्ज है जिसकी प्रविष्टि जमाबंदी में हो रही है । इन सब तथ्यों को अधीनस्थ न्यायालय ने बिना देखे बिना अपीलांट को सुने बिना प्राथमिक डिक्री पारित की है जो कतई गलत व निरस्त होने योग्य है क्योंकि रिकार्डेड खातेदार को सुने बगैर जो निर्णय पारित किया गया है वह सर्वथा गलत है तथा जितना हिस्सा अपीलांट को रिकार्ड में दर्ज है उससे कम हिस्सा करने का अधीनस्थ न्यायालय को कोई अधिकार प्राप्त नहीं है । अपीलांट को रिकार्डेड खातेदार होते हुए भी रेस्पोंडेंट ने पक्षकार नहीं बनाया इस कारण धारा 96 दीवानी प्रक्रिया संहिता का प्रार्थना पत्र इस अपील के साथ पेश कर दिया गया है ताकि अपीलांट अपील पेश कर सके व अपने हितों की रक्षा कर सके । अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्व नियम 8 से 18 की पालना नहीं की है, क्योंकि वक्त बंटवारा खातेदारान को सूचना नहीं दी गई है और ना ही खातेदार की सहमति ली गई क्योंकि अपीलांटगण भी एक सहखातेदार थी तथा उसका सूचना नहीं देकर बिना सूचना दिये जो बंटवारा व अंतिम डिक्री जारी की है वह खिलाफ कानून है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक डिक्री दिनांक 02.01.2015 अपास्त की जावे और अपीलांटगण का जो 1/4 हिस्सा दर्ज है उसके द्वारा ही प्रविष्टि की जावे, इस पर अधीनस्थ न्यायालय ने गौर न करके गलत हिस्से की डिक्री जारी की है, जो निरस्त होने योग्य है ।

अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय



(महेन्द्र लोढ़ा)

भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

की जानकारी दिनांक 25.07.2015 को हुई । जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है । अतः विलम्ब का शमन किया जाये ।

अपील संख्या 162/2015 के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि निर्णय अधीनस्थ न्यायालय खिलाफ कानूनी व पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों के विपरीत है । अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का कानून के अनुसार विवेचन न करके भारी भूल की है । ग्राम तामखेड़ा, तहसील अन्ता में विवादित आराजी 13 किता रकबा 22.26 हेक्टर स्थित थी जिसके बाबत गणेशराम मृतक जिसके कायम मुकामान रेस्पोंडेंट क्रम 1 लगायत 4 हैं ने एक दावा रेस्पोंडेंट क्रम 5 लगायत 17 के विरुद्ध अधीनस्थ न्यायालय में अन्तर्गत धारा 53, 88, 89 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में पेश किया जिसमें अपीलांट को पक्षकार नहीं बनाया । जबकि अपीलांट भी वाद पेश करने के समय राजस्व कागजात में बतौर खातेदार कृषक दर्ज थी तथा उसका नाम खाते में 5/48 कॉलम नम्बर 4 में दर्ज था । इसके बाद इंतकाल नम्बर 606 दिनांक 05.09.2013 से कैला बाई का हिस्सा 1/24 भी अपीलांट ने खरीद किया जिसका नोट भी जमाबंदी में लग गयी एवं इस प्रकार हिस्सा 520/1855 भी अपीलांट के नाम दर्ज करने का नोट जमाबंदी में अंकन हुआ । उसके अलावा ग्राम तामखेड़ा, तहसील अन्ता में सम्वत 2070-2073 की जमाबंदी में अपीलांट का 3/4 हिस्सा दर्ज है जो खसरा नम्बर 832/308 रकबा 1.44 हेक्टर में है । इसके बाद इंतकाल नम्बर 606 दिनांक 05.09.2013 से इसी भूमि का पुष्पाबाई व कैलाबाई का 1/24 हिस्सा भी अपीलांट द्वारा खरीद किया गया, जिसका नोट जमाबंदी में लग चुका है । यह भूमि अपीलांट ने जरिये रजिस्टर्ड बेचाननामा से खरीद की है तथा इसी प्रकार ग्राम तामखेड़ा की सम्वत 2070-2073 की जमाबंदी में अपीलांट का खसरा नम्बर 313 रकबा 2.84 हेक्टर व खसरा नम्बर 347 रकबा 2.71 हेक्टर में 1/4 हिस्सा दर्ज है जिसकी प्रविष्टि जमाबंदी में हो रही है । इन सब तथ्यों को अधीनस्थ न्यायालय ने बिना देखे बिना अपीलांट को सुने बिना प्राथमिक डिक्री पारित की है जो निरस्त होने योग्य है क्योंकि रिकार्ड



(महिन्द्र लोडा)
 मू-प्रबन्ध अधिकारी
 एवं
 पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
 कोटा (राज.)

खातेदार को सुने बगैर जो निर्णय पारित किया गया है वह सर्वथा गलत है तथा जितना हिस्सा अपीलांट का रिकार्ड में दर्ज है उससे कम हिस्सा करने का अधीनस्थ न्यायालय को कोई अधिकार प्राप्त नहीं है । अपीलांट को रिकार्डेड खातेदार होते हुए भी रेस्पोंडेंट ने पक्षकार नहीं बनाया इस कारण धारा 96 दीवानी प्रक्रिया संहिता का प्रार्थना पत्र इस अपील के साथ पेश कर दिया गया है ताकि अपीलांट अपील पेश कर सके व अपने हितों की रक्षा कर सके । अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्व नियम 8 से 18 की पालना नहीं की है, क्योंकि वक्त बंटवारा खातेदारान को सूचना नहीं दी गई है और ना ही खातेदार की सहमति ली गई क्योंकि अपीलांटगण भी एक सहखातेदार थी तथा उसका सूचना नहीं देकर बिना सूचना दिये जो बंटवारा व अंतिम डिक्री जारी की है वह खिलाफ कानून है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक डिक्री दिनांक 02.01.2015 अपास्त की जावे एवं प्राथमिक डिक्री में खसरा नम्बर 308/1 रकबा 1.44 हेक्टर दर्ज किया गया है जबकि अंतिम डिक्री में 832/308 पश्चिमी 0.28 व पूर्वी 1.16 दर्ज किया है जो कतई गलत है क्योंकि राजस्व रेकार्ड में खसरा नम्बर 832/308 रकबा 1.44 हेक्टर दर्ज है । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने गौर न करके गलत हिस्से की डिक्री जारी की है जो निरस्त होने योग्य है ।



अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 24.06.2015 को हुई । जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है । अतः विलम्ब का शमन किया जाये ।

अपील संख्या 190/2015 के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि निर्णय अधीनस्थ न्यायालय खिलाफ कानूनी व पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों के विपरीत है । अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का कानून के अनुसार विवेचन न करके भारी भूल की है । ग्राम तामखेड़ा, तहसील अन्ता में विवादित आराजी 13 किता रकबा 22.26 हेक्टर स्थित थी जिसके बाबत गणेशराम मृतक जिसके कायम मुकामान

(महेन्द्र लोढ़ा)

भू-प्रबन्ध अधिकारी

एवं

पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी

कोटा (राज.)

रेस्पोंडेंट क्रम 1 लगायत 4 हैं ने एक दावा रेस्पोंडेंट क्रम 5 लगायत 17 के विरुद्ध अधीनस्थ न्यायालय में अन्तर्गत धारा 53, 88, 89 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में पेश किया जिसमें अपीलांट को पक्षकार नहीं बनाया । जबकि अपीलांट भी वाद पेश करने के समय राजस्व कागजात में बतौर खातेदार कृषक दर्ज थी तथा उसका नाम खाते में 1/4 कॉलम नम्बर 4 में दर्ज है । इसके अलावा ग्राम तामखेड़ा, तहसील अन्ता में सम्वत 2070-73 की जमाबंदी में अपीलांटगण का 1/4 हिस्सा दर्ज है जो समस्त भूमियों में है । इसी प्रकार ग्राम तामखेड़ा की सम्वत 2070-73 की जमाबंदी में अपीलांट का 1/4 हिस्सा दर्ज है जिसकी प्रविष्टि जमाबंदी में हो रही है । इन सब तथ्यों को अधीनस्थ न्यायालय ने बिना देखे बिना अपीलांट को सुने बिना प्राथमिक डिक्री पारित की है जो कतई गलत व निरस्त होने योग्य है क्योंकि रिकार्डेड खातेदार को सुने बगैर जो निर्णय पारित किया गया है वह सर्वथा गलत है तथा जितना हिस्सा अपीलांट को रिकार्ड में दर्ज है उससे कम हिस्सा करने का अधीनस्थ न्यायालय को कोई अधिकार प्राप्त नहीं है । अपीलांट को रिकार्डेड खातेदार होते हुए भी रेस्पोंडेंट ने पक्षकार नहीं बनाया इस कारण धारास 96 दीवानी प्रक्रिया संहिता का प्रार्थना पत्र इस अपील के साथ पेश कर दिया गया है ताकि अपीलांट अपील पेश कर सके व अपने हितों की रक्षा कर सके । अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्व निमय 8 से 18 की पालना नहीं की है, क्योंकि वक्त बंटवारा खातेदारान को सूचना नहीं दी गई है और ना ही खातेदार की सहमति ली गई क्योंकि अपीलांटगण भी एक सहखातेदार थी तथा उसका सूचना नहीं देकर बिना सूचना दिये जो बंटवारा व अंतिम डिक्री जारी की है वह खिलाफ कानून है । अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्व निमय 8 से 18 की पालना नहीं की है, क्योंकि वक्त बंटवारा खातेदारान को सूचना नहीं दी गई है और ना ही खातेदार की सहमति ली गई क्योंकि अपीलांटगण भी एक सहखातेदार थी तथा उसका सूचना नहीं देकर बिना सूचना दिये जो बंटवारा व अंतिम डिक्री जारी की है वह



(महेन्द्र लोका)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कांटा (राज.)

बिना सूचना दिये जो बंटवारा व अंतिम डिक्री जारी की है वह खिलाफ कानून है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक डिक्री दिनांक 02.01.2015 अपास्त की जावे और अपीलांटगण का जो 1/4 हिस्सा दर्ज है उसके द्वारा ही प्रविष्टि की जावे, इस पर अधीनस्थ न्यायालय ने गौर न करके गलत हिस्से की डिक्री जारी की है, जो निरस्त होने योग्य है ।

अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 20.07.2015 को हुई । जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है । अतः विलम्ब का शमन किया जाये ।

चारों अपीले प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । बहस उभयपक्षीय सुनी गई ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में धारा 88, 89, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का दावा पेश किया । गणेशराम मृतक के खाते थी जिसके कायम मुकामान रेस्पोंडेंट क्रम 1 से 4 हैं जबकि जमाबंदी में हम भी खातेदार हैं । अधीनस्थ न्यायालय में हमें पार्टी नहीं बनाया गया । अतः प्रकरण रिमाण्ड किया जावे ।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोंडेंट ने लिखित बहस पेश की जो शामिल पत्रावली की गई । अभिभाषक रेस्पोंडेंट ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी की दिनांक 02.01.2015 की डिक्री के खिलाफ इन्होंने अपील नहीं की । अपील में दिनांक 25.02.2015 से लिमिटेशन खत्म हो गया है । अपील मियाद बाहर है । इन्होंने प्रत्येक दिन के डिले को बताया नहीं है । अतः इनको सुना नहीं जाना चाहिए । अतः अपील खारिज की जाये । अपने पक्ष के समर्थन में 2016(1) सी जे (सी आई वी) राजस्थान पेज 58 उद्धरत की ।



(महेन्द्र लोढ़ा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । न्याय हित में चारों अपीलों में धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विलम्ब का शमन किया जाता है ।

अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट द्वारा वाद पेश करते समय राजस्व कागजात में बतौर खातेदार कृषक दर्ज थे । लेकिन प्रकरण में उनको पक्षकार नहीं बनाया गया तथा रेकार्ड में जो प्रविष्टियां दर्ज की गई है उन्हें देखे बिना ही प्राथमिक डिक्री दिनांक 02.01.2015 को पारित कर दी गई जो उचित नहीं है । अतः प्राथमिक डिक्री के आधार पर जारी की गई अंतिम डिक्री भी निरस्त होने योग्य है ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर चारों अपीले अपील संख्या 161/2015, 189/2015, 162/2015 एवं 190/2015 अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 02.01.2015 व अंतिम डिक्री दिनांक 25.02.2015 अपास्त किये जाते हैं । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभयपक्षकारान को साक्ष्य एवं सुनवायी का अवसर प्रदान कर एवं उभयपक्षकारान की उपस्थिति में बंटवारा प्रस्ताव तैयार कर प्रकरण में पुनः नये सिरे से विधि सम्मत निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 25.05.2021 को उपस्थित होवे ।

निर्णय आज दिनांक 03.02.2021 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(महेन्द्र लोढ़ा)

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

